तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर :– 192/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/261	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में बताया कि ग्राम रावरा के खसरा नंबर 133/1 रकबा 4.1278 हैक्टेयर भूमि में तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था। उक्त आराजी भूमि में प्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित खसरान् में कब्जा काश्त अनुरूप तरमीम बाबत इस्तदुआ चाही थी लेकिन निर्णय टंकण करते समय माफिक मौका रिपोर्ट अलग–अलग खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है का अकंन टंकण करने से रह गया। इसलिए उक्त निर्णय में प्रार्थीगण के कब्जा अनुसार अलग–अलग खाते कायम किये जाने का संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, तहसीलदार बाप का जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय में सहवन से अलग अलग खाते कायम नहीं कर मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है टंकित कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **आदेश** अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सिविल प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 192/2024 अनवान किसना वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम रावरा के खसरा नम्बर 133/1 रकबा 4.1278 हैक्टेयर भूमि की तरमीम अलग–अलग खाते कायम कर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया। 31/1/25 (सुखाराम पिण्डेल,R.A.S.) सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	